बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

हमारा बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक -8 बजट (1) 07/2017 प0पा0 57 (नि0) आ0/ **दिनांक** - 15/01/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0

निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना

शोध पदाधिकारी (पशु रोग),

पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला , दरभंगा।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2017—18 में आय—व्ययक शीर्ष 2403 —पशुपालन 113 — प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी — 0001— राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, मांग संख्या—02, विपत्र कोड —02—2403001130001 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु ₹ 96,90,600/— (छियान्वे लाख नब्बे हजार छः सौ रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में व्यय को वहन करने हेतु आवंटनादेश संख्या— 05 (नि0) आ0 दिनांक— 24.05.2017 के क्रम में कुल ₹ 96,90,600/— (छियान्वे लाख नब्बे हजार छः सौ रूपये) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2— इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में मांग सं0—2 के अधीन आय—व्ययक शीर्ष 2403—पशुपालन 113 — प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी 0001— राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, विपत्रकोड—02—2403001130001 के अन्तर्गत विकलित होगा ।

3— यह आवंटन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिये स्थायी स्थापना एवं स्थायी योजना के अन्तर्गत राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना एवं कार्बन टेट्राक्लोराईड के बोतलीकरण की योजना तथा पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा की स्थापना की योजना के लिए दिया जा रहा है । इस राशि का विकलन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद पर पदस्थापित कर्मियों के वेतनादि भुगतान में ही किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में अतिरेक कर्मियों को भुगतान नहीं किया जाये। संगत वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

4— वित्त विभाग के पत्रांक 2725 वि0 (2) दिनांक 15.04.2000 के समस्त प्रावधानों का भली—भॉति अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वांछित अर्हता/योग्यता रखने वाले पशु चिकित्सकों को ही गैर व्यवसायिक भत्ता (एन0 पी0 ए0) का भुगतान किया जाय। उक्त पत्र के समस्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए बगैर गैर व्यवसायिक भत्ता (एन0 पी0 ए0) का भुगतान करने पर गलत भुगतान की स्थिति में इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

5— वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक— 31.03.2017 एवं 3002/वि० दिनांक— 26.04.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) वेतन–भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग –1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0 भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें।

(घ) मृत एवं सेवानिवृत कर्मियों एवं कार्ट केस से संबंधित मामलों का भुगतान नियमानुकूल प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–8 बजट (1) 07/2017 प0पा0 57 (नि0) आ0/ पटना–15, दिनांक– 15 / 01 /2018

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या – टी0 ए0– 57 – 96–97–प0पा0–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–8 बजट (1) 07/2017 प0पा0 57 (नि0) आ0/ पटना–15, दिनांक– 15 / 01 /2018

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–8 बजट (1) 07/2017 प0पा0 57 (नि0) आ0/ पटना–15, दिनांक– 15 / 01 /2018

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–8 बजट (1) 07/2017 प0पा0 57 (नि0) आ0/ पटना–15, दिनांक– 15 / 01 /2018

प्रतिलिपि– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–8 बजट (1) 07/2017 प0पा0 57 (नि0) आ0/ पटना–15, दिनांक– 15 / 01 /2018

प्रतिलिपि– संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–8 बजट (1) 07/2017 प0पा0 57 (नि0) आ0/ पटना–15, दिनांक– 15 / 01 /2018

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा– 8, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अनुलग्नक की प्रति के साथ (विभागीय वेवसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष 2403 –पशुपालन 113 – प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी – 0001– राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना, मांग संख्या–02, विपत्र कोड–02–2403001130001 के अन्तर्गत आवंटन की विवरणी:–

क्र0 सं0	विस्तृत शीर्ष	कूट संख्या एवं मद का नाम	राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना			पशु रोग नैदानिक प्रयोगशाला, दरभंगा की स्थापना			कुल योग		
			पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01–वेतन	0001.01 01 – वेतन	26408600	5000000	31408600	889000	400000	1289000	27297600	5400000	32697600
2		0001.01 03 – जीवन यापन भत्ता	35195700	2830700	38026400	1137100	140000	1277100	36332800	2970700	39303500
3		0001.01 04 – मकान किराया भत्ता	5881700	1243100	7124800	52300	5000	57300	5934000	1248100	7182100
4		0001.01 05 – परिवहन भत्ता	729600	42400	772000	0	0	0	729600	42400	772000
5		0001.01 06 – चिकित्सा भत्ता	249600	7200	256800	7200	5000	12200	256800	12200	269000
6		0001.01 07 – अन्य भत्ता	46300	2200	48500	1500	0	1500	47800	2200	50000
	योग – 02–2403.00.113.0001.01– वेतन		**68511500**	**9125600**	**77637100**	**2087100**	**550000**	**2637100**	**70598600**	**9675600**	**80274200**
7	06–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0001.06 01 –चिकित्सा प्रतिपूर्ति	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	11–यात्रा व्यय	0001.11 01 – यात्रा व्यय	**100000**	**0**	**100000**	**5000**	**5000**	**10000**	**105000**	**5000**	**110000**
9	13–कार्यालय व्यय	0001.13 01 – कार्यालय व्यय	100000	0	100000	30000	0	30000	130000	0	130000
10		0001.13 02–वाहन का ईंधन एवं रखरखाव	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
11		0001.13 03 –दूरभाष	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
12		0001.13.04–विद्युत प्रभार	200000	0	200000	25000	10000	35000	225000	10000	235000
13		0001.13 06 –वर्दी / पोशाक	240000	0	240000	10000	0	10000	250000	0	250000
	योग – 02–2403.00.113.0001.13– कार्यालय व्यय		**740000**	**0**	**740000**	**65000**	**10000**	**75000**	**805000**	**10000**	**815000**
14	14–किराया, महसूल एवं कर	0001.14.01–किराया, महसूल एवं कर	170000	0	170000	80000	0	80000	250000	0	250000
15	16–प्रकाशन एवं मुद्रण	0001.16.01–प्रकाशन एवं मुद्रण	15000	0	15000	0	0	0	15000	0	15000
16	20–प्रशिक्षण व्यय	0001.20.03–प्रशिक्षण व्यय	100000	0	100000	0	0	0	100000	0	100000
17	21–सामग्री एवं पूर्तियाँ	0001.21.01–सामग्री एवं पूर्तियाँ	188000	0	188000	12000	0	12000	200000	0	200000
18	52–मशीनें एवं उपस्कर	0001.52.01–मशीनें एवं उपस्कर	400000	0	400000	45000	0	45000	445000	0	445000
	योग – 02–2403.00.113.0001. राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना		**70224500**	**9125600**	**79350100**	**2294100**	**565000**	**2859100**	**72518600**	**9690600**	**82209200**
				(एकानवे लाख पचीस हजार छः सौ) रूपये मात्र।			(पाँच लाख पैंसठ हजार) रूपये मात्र।			(छियान्वे लाख नब्बे हजार छः सौ) रूपये मात्र।	

57 (नि0)आ0
15/01/2018

निदेशक, पशुपालन।